कार्यालय टेम्पल एस्टेट, माई दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

ईमेल- danteshwaritemple@gmail.com वेब साईट :- www.maadanteshwari.in

दूरभाष :- 8360601008

क्रमांक/355 /मं.लि./2024 दंतेवाड़ा दिनांक 03/12/2024

माई दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा के स्वामित्व की भूमि ख0न. 201 मेंढ़का डोबरा मैदान में निर्मित दुकानो की नीलामी दिनांक 18/12/2024 की शर्ते :-

1. दुकानो की खुली नीलामी प्रक्रिया में जिला दंतेवाड़ा का कोई भी स्थानीय व्यक्ति भाग लेने हेतु स्वतंत्र है।
2. दुकानों की नीलामी राईट ऑफ ऑक्सन की अधिकतम किराया राशि के लिये की जावेगी। नीलामी की उच्चतम बोली स्वीकृत-अस्वीकृत करने का अधिकार टेम्पल एस्टेट समिति के पास होगा। दुकान आवंटन पश्चात आबंटिती को दुकान का प्रतिमाह किराया देना होगा।
3. निर्मित काम्पलेक्स की दुकानों में वर्तमान सौंदर्यीकरण के दौरान प्रभावित किरायेदारों के लिये 06 दुकानें, मंदिर के परम्परागत पुजारी/सेवादारों, बारह लंकवार, मांझी/चालकी हेतु 12 दुकानें, शासकीय योजनाओं हेतु 02 दुकानें एवं मुक्त 10 दुकानें नियत की गई है। जिसमें संबंधित ही बोली हेतु भाग ले सकते है। नीलामी के पश्चात संबंधित वर्ग की दुकाने शेष होने पर मुक्त घोषित करते हुए स्वतंत्र नीलामी की कार्यवाही की जावेगी।
4. खुली नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक सदस्य को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्ण भरकर अमानत राशि 10,000/- (दस हजार रूपये) सहित (नगद/एफडीआर/बैंकर्स चैक/डी.डी. व्यवस्थापक टेम्पल एस्टेट दंतेवाड़ा के नाम से) नीलामी के पूर्व टेम्पल कार्यालय में जमा करना होगा। जो नीलामी समाप्ति पश्चात दुकान प्राप्त नहीं किये जाने पर उच्चतम बोलीदार की अमानत राशि को छोड़कर शेष बोलीदार की अमानत राशि वापसी कर दी जायेगी।
5. यह कि कोई भी बोलीदार केवल एक ही दुकान प्राप्त कर सकेगा। दुकान प्राप्त होने के पश्चात अन्य किसी भी दुकान की बोली नहीं लगा सकेगा।
6. नीलामी की कार्यवाही टेम्पल एस्टेट मांई दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा के अधिकृत सक्षम अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जावेगा।
7. निर्मित दुकान का निम्नतम मासिक किराया 5000/- (पांच हजार रूपये) नियत हैं, जिस पर अधिकतम मासिक किराया की बोली लगाकर दुकान प्राप्त किया जा सकता है।
8. आबंटन प्रक्रिया तभी पूर्ण मानी जाएगी जब आपके द्वारा स्वीकृत बोली की उच्चतम बोली का 400 प्रतिशत राशि 15 दिवस के भीतर जमा करते हुए तत्काल किराया अनुबंध पत्र का निष्पादन करना होगा। इसके पश्चात ही दुकान का कब्जा प्राप्त कर सकेगा। समयावधि समाप्त होने पर आबंटन प्रक्रिया स्वमेव निरस्त माना जावेगा। तथा नीलामी के पूर्व जमा अमानत राशि जुर्माने के रूप में राजसात कर ली जावेगी।
9. नीलामी में किराया की बोली का अंतर 500/-(पांच सौ रूपये) निर्धारित है।
10. नीलामी में प्राप्त दुकान का 11 माह का किरायानामा किया जावेगा, जो कि प्रत्येक 11 माह बाद नवीनीकरण योग्य होगा एवं प्रतिवर्ष मासिक किराया में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।
11. दुकान का मासिक किराया प्रतिमाह 10 तारीख तक कार्यालय टेम्पल एस्टेट दंतेवाड़ा में जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त तिथि के पश्चात मासिक किराया का 10 प्रतिशत राशि विलंब शुल्क प्रतिमाह अतिरिक्त जमा करना होगा।
12. आबंटित दुकान का किराया 03 माह तक लगातार जमा नहीं किये जाने पर दुकान आबंटन निरस्त किया जावेगा।

ok

Scanned with CamScanner

13. नीलामी की दुकानों में मादक पदार्थो, विस्फोटक, मांस आदि मंदिर के छवि को प्रभावित करने वाले व्यवसाय नहीं किये जायेंगे।
14. आबंटन प्रक्रिया के पश्चात् प्राप्त दुकान हस्तांतरणीय नहीं है एवं किसी अन्य को दुकान किराये पर नहीं दी जा सकती है। दुकान का संचालन करने में सक्षम नहीं होने पर वर्तमान अवधि तक का किराया जमा कर टेम्पल एस्टेट समिति को वापस करना होगा।
15. दुकान में विद्युत कनेक्शन आबंटिती को स्वयं के व्यय से करना होगा, जिसके लिये मंदिर समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
16. ऊपर वर्णित किसी बिन्दु या कंडिका में विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय टेम्पल एस्टेट समिति द्वारा लिया जावेगा।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.) दंतेवाड़ा एवं
सचिव टेम्पल एस्टेट दंतेवाड़ा

पृ0क्रमांक/355-A/मं.लि./2024 दंतेवाड़ा दिनांक 03/.12.2024

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, टेम्पल एस्टेट दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दंतेवाड़ा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
3. कार्यालय तहसीलदार दंतेवाड़ा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
4. कार्यालय टेम्पल एस्टेट दंतेवाड़ा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
5. कार्यालयीन प्रति।
6. नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदक को सूचना की प्रति।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.) दंतेवाड़ा एवं
सचिव टेम्पल एस्टेट दंतेवाड़ा

Scanned with CamScanner